

बाबू राम सिंह महाविद्यालय

खाडपाथर, पो०-मुर्धवा (रेनुकूट) सोनभद्र-उ०प्र०

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



पंजीयन संख्या-1482/2002-03

दूरभाष - (05446) 256569
फैक्स नं-(05446) 255777

पत्रांक.....

दिनांक.....

Criterion II – Teaching-Learning and Evaluation

2.4.1: Percentage of full-time teachers against sanctioned posts during the last five years.

Link of relevant document

- Sanctioned letters indicating number of post (including management sectioned posts) by competent authority.
- Sanctioned Letters with Translation
- List of Full Time Teachers Appointed along with their departmental affiliation (2021-22 to 2017-18)
- Appointment Letters
- Aadhar & PAN Details

प्रबन्धक
बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खाडपाथर, मुर्धवा(रेनुकूट) सोनभद्र

प्राचार्य
बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खाडपाथर, मुर्धवा(रेनुकूट)
सोनभद्र उ०प्र०



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,

वाराणसी-2

दूरभाष- 0542 2221718

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2

Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0-2 B स0आ0/1080 / 05-227-प्र.अनु.-2016 / 2016,
सेवा में,

दिनांक : 25 अक्टूबर, 2016

प्रबन्धक,

बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाड़पाथर (मुर्दवा) रेनुकूट,
सोनमढ़।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कला संकाय में भूगोल, स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान तथा शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम तथा बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शारीरिक शिक्षा में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 15.06.2016 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरात्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443 / सत्तर-2-2000-2(85) / 97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपाठि शासनादेश संख्या-5699 / सत्तर-2-2007-2(85) / 97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218 / सत्तर-2-2007-2(85) / 97 दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या-968 / सत्तर-2-2011 / 97, 2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सविदा के आधार पर उक्त प्रवक्ताओं के लिए अधीलिखित अन्यर्थियों को उनके सम्मुख्याकृति विवरण के अनुसार पैच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अन्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
1.	कु0 माधुरी	श्री कन्हैया लाल	23.06.1987	नेट 2011, नेट 2012	प्रवक्ता भूगोल
2.	श्री राकेश कुमार यादव	श्री राम सुन्दर यादव	01.11.1977	नेट	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा
3.	श्री संजय कुमार	श्री लाल चन्द्र राम	17.09.1985	नेट 2013	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा
4.	कु0 दिव्यानी राय	श्री रमेश चन्द्र राय	03.05.1990	एम0एफ0ए0	प्रवक्ता बी0एड0 चिकित्सा
5.	कु0 निजा	श्री राम प्रकाश	01.01.1990	नेट	प्रवक्ता बी0एड0 विज्ञान वर्ग
6.	कु0 पूनम वर्मा	श्री रामचन्द्र	18.09.1988	नेट	प्रवक्ता गृहविज्ञान (P.G.)
7.	कु0 रश्मि राठौर	श्री रामबली राठौर	02.06.1990	नेट	प्रवक्ता गृहविज्ञान (P.G.)
8.	डॉ रीता यादव	श्री दीर बहादुर सिंह यादव	21.01.1982	पी0एच0डी0	प्रवक्ता गृहविज्ञान (P.G.)
9.	डॉ सुमन प्रकाश	श्री आर0पी0 सिंह	10.01.1979	पी0एच0डी0	प्रवक्ता जन्तु विज्ञान
10.	डॉ साहब लाल यादव	श्री बसन्त लाल यादव	16.07.1980	पी0एच0डी0	प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान
11.	श्री नकुल पराशर	श्री रघुनन्दन	21.10.1987	नेट	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान
12.	डॉ अवनीश मिश्र	श्री एस0एन0 मिश्र	11.03.1985	पी0एच0डी0	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान
13.	डॉ प्रदीप कुमार	श्री रोहिताश शर्मा	06.03.1980	पी0एच0डी0	प्रवक्ता रसायन विज्ञान
14.	डॉ जीतन्द्र कुमार चौरसिया	श्री शिवशंकर चौरसिया	07.02.1979	पी0एच0डी0	प्रवक्ता रसायन विज्ञान
15.	डॉ प्रभात कुमार सिंह	श्री लाल बहादुर सिंह	29.03.1981	पी0एच0डी0	प्रवक्ता गणित
16.	डॉ विनोद कुमार चौधे	श्री राजेश्वर चौधे	01.07.1973	पी0एच0डी0	प्रवक्ता हिन्दी (P.G.)
17.	डॉ संजय कुमार	रघु सरजू यादव	26.07.1979	पी0एच0डी0	प्रवक्ता समाजशास्त्र (P.G.)
18.	कु0 जाली अम्बात्ता	श्री जयनरायन लाल	07.10.1977	नेट	प्रवक्ता समाजशास्त्र (P.G.)

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अन्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का काट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं सविदा प्रपत्र (अन्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज वारीनीय को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों नियि (कन्द्रीयूरुरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त सविदा नवीनीकृत की जा सकती।

भवदीय

कुलसचिव

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. नवीनीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. पर्वत नियन्त्रक, म0गा0काशी विद्यापीठ, वाराणसी।



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-2
दूरभाष- 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0-2 B स030/5536 / 05-10-प्र.अनु.-2015/2015,
सेवा में,

दिनांक: 28 अक्टूबर, 2015

प्राचार्य,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाडपाथर, मुर्धा (रेनूकुट),
सोनभद्र।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 प्रवक्ता अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 29.09.2015 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय की चयन समिति की संस्तुति एवं प्रवन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85) /97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 एवं सपष्टित शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2 (85)/97, दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थी को उनके समुख्याकृत विवरण के अनुसार पॉच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मातिथि	स्नातकोत्तर विषय	शैक्षिक अर्हता	विषय
1.	डॉ० चंचला पाण्डेय	श्री सुग्रीव पाण्डेय	16.05.1983	एम०का०म०	पी०एच०ड०	प्रवक्ता बी०एड०
2.	डॉ० जय प्रकाश मिश्र	श्री शिव प्रसाद मिश्र	04.07.1967	वनस्पति विज्ञान	पी०एच०ड०	प्रवक्ता बी०एड०
3.	श्री अंजीत कुमार चौधे	श्री दीनानाथ चौधे	01.08.1983	एम०पी०एड०	नेट	प्रवक्ता बी०एड० शारीरिक शिक्षा
4.	श्री राहुल कुमार सरोज	श्री रामेश्वर नाथ	10.10.1988	एम०स्यूज०	नेट	प्रवक्ता बी०एड० म्यूजिक
5.	श्री राकेश मल्ल	श्री तेज बहादुर मल्ल	12.11.1979	गणित	नेट	प्रवक्ता बी०एड०
6.	श्री रवि कुमार राय	श्री कमलेश पती राय	15.07.1975	गणित	नेट	प्रवक्ता बी०एड०
7.	श्री अरविन्द कुमार यादव	श्री पारसनाथ यादव	01.01.1984	प्राणि विज्ञान	नेट	प्रवक्ता बी०एड०
8.	श्री आंशुलोप तिवारी	श्री गजाधर प्रसाद तिवारी	01.07.1989	संस्कृत	नेट	प्रवक्ता बी०एड०
9.	श्री राकेश कुमार यादव	श्री सन्ताराम यादव	12.01.1981	राजनीतिशास्त्र	नेट	प्रवक्ता बी०एड०

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रवन्धक के स्वहस्ताकृति पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसंचित; महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियन्त्रक, म०गां०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

भवदीय,

3

कुलसंचित

20-10-16

कुलसंचित



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-2

दूरभाष- 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

पत्र क्र. कु०१०-२ B सं०३० ५/१७ /०५-१०-२०१५-२०१६/२०१५-२०१६,
संदेश म.

दिनांक २ अगस्त, 2015

प्रबन्धक,

बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाडपाथर, मुर्हिका (रिनुकूल)
सोनभद्र।

विषय- स्वचित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय (कला संवर्ग) के अन्तर्गत अंग्रेजी, समाजशास्त्र एवं बी०पी०ए० पाठ्यक्रम में
महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 17.06.2015, 09.07.2015 एवं 02.07.2015 के संदर्भ में सूच्य है कि आप हारा उपलब्ध कराये गये
अभिलेख, उपर्युक्त सदर्भेत विषय की चयन समिति की संस्तुति एवं प्रवन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश
संख्या-2443 / सत्तर-२-२०००-२(८५) / ९७, दिनांक ०९ मई, २००० शासनादेश राय-५०९९ / सत्तर-२-२००७-२(८५) / ९७, दिनांक ११ जनवरी
२००८ एवं सप्तिं शासनादेश संख्या-२२१८ / सत्तर-२-२००७-२ (८५) / ९७, दिनांक २३ अगस्त, २०११ तथा
संख्या-९६४ / सत्तर-२-२०१३-१८(९०) / २०१३ दिनांक ३० नई, २०१३ के आलोक में स्वचित्तपोषित योजनान्तर्गत रायिदा ये आधार पर उक्त
विनागाव्यह एवं प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थी को उनके सम्मुखाकित विवरण के अनुसार पौँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की
अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय हारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि गविष्य ने कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः
द्वारा विवरण दिया जाएगा। यदि ये चयनि अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	विषय
१.	डॉ० मनोज शर्मा	श्री रविन्द्र शर्मा	१९.०१.१९८०	पी०ए०ड०	प्रवक्ता अंग्रेजी
२.	डॉ० किरन मीर्या	श्री राधे श्याम मीर्या	०८.०७.१९८३	पी०ए०ड०	प्रवक्ता समाजशास्त्र
३.	डॉ० देवेश कुमार सिंह	श्री रज विजय सिंह	३०.०३.१९७५	पी०ए०ड०	विनागाव्यह बी०पी०ए०
४.	श्री अरविन्द कुमार	श्री विनूति राम	०७.०७.१९८७	नेट	प्रवक्ता दी०पी०ए०
५.	श्री विकास प्रताप सिंह	श्री पारस नाथ सिंह	०१.०७.१९९४		प्रवक्ता दी०पी०ए०
६.	श्री दिवाकर सिंह	श्री सत्यनारायण सिंह	१७.०१.१९८५	नेट	प्रवक्ता दी०पी०ए०
७.	श्री अनुराग कुमार गिरि	श्री विनोद कुमार गिरि	०२.१०.१९८९	नेट	प्रवक्ता दी०पी०ए०
८.	श्री चन्द्र प्रकाश यादव	श्री बलराम यादव	०२.०७.१९८९		प्रवक्ता दी०पी०ए०
९.	श्री शशि बाबू विश्वकर्मा	श्री शमू नाथ विश्वकर्मा	०६.०८.१९८७	नेट	प्रवक्ता वाणिज्य
१०.	श्री अनिल कुमार चांगला	श्री दीलता राम चांगला	०२.०८.१९७८	नेट	प्रवक्ता वाणिज्य
११.	डॉ० सजय रस्तोगी	श्री रामसारन रस्तोगी	१४.०६.१९८२	पी०ए०ड०	प्रवक्ता वाणिज्य
१२.	डॉ० अमृतगं पाण्डेय	श्री त्रिवेणी सहाय पाण्डेय	०१.०५.१९८१	पी०ए०ड०	प्रवक्ता वाणिज्य

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व तस्वीरित अभ्यर्थी के भूल शैक्षणिक अभिलेख आदि
देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं नविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रवक्त्यक के स्वहस्ताकृति पासपोर्ट साइज
के फोटोग्राफ रहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
को पत्र प्राप्ति के १५ दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये
जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशादायी भविष्य निधि
(कम्प्रीव्यूटरी प्रायिडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लान् किया जाय तथा वेतन नुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना
सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त सविदा नवीनीकृत

नवदीय,

कुलसचिव

५/८/१५

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- १ माननीय कुलपति जी—सूचनार्थ।
- २ परीक्षा नियंत्रक, म०गां०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव

सहायक कुलसचिव
(प्रभालता)



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ

वाराणसी-2

दूरभाष- 0542 2221718

Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith

Varanasi-2

Tel. No.- 0542 2221718

पत्रोंक : स०क०स०/२ ब ३०३०/१५०५/०५-०७-२०१२/२०१३

दिनांक १६ नवम्बर, २०१३

सेवा मे.

प्रबंधन

बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाड़पाथर, मध्यप्रदेश,
सोनमढ़।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनानार्गत स्नातक स्तर पर कक्षा संकाय के अतर्गत हिन्दी एवं भूगोल प्रवक्ताओं के अनुमोदन के बाबज्ञान मे.

उपर्युक्त राज्यप्रिति विषय के सन्दर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महात्मा ने शासनादेश राज्या-2443/सत्तर-2-2000-2(5), ९७, दिनांक ०९ मई, २००० एवं सहप्रतित शासनादेश सख्या-५६९९ / सत्तर-२-२००७-२(५)/९७, दिनांक ११ जनवरी २००४ तथा शासनादेश राज्या-२२१८/सत्तर-२-२००७ (५), ९७ दिनांक २३ अगस्त २०११ के आलोक मे स्वतित्त्वपोषित योजनानार्गत संविदा के आधार पर उक्त प्रवक्ताओं के उक्त अध्यात्मिक अध्यर्थियों को उनके सम्मुख्याकारी दिवरण के अनुसार पैच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों मे यहि प्रतिक्रिया मे काई चुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन एवं जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अध्यर्थी अन्य महाविद्यालयों मे कार्यरत पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतं ने समझा जायगा।

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	रौप्यिक अर्हता	पद/विषय
१	सौ. राम सिंह कुमारी	श्री इन्द्रराम सिंह	११.११.८६	एम०१०, नेट	प्रवक्ता हिन्दी
२	सौ. तेज राम कुमारी	गनेश प्रताप सिंह	०८.०४.८२	एम०१०, नेट	प्रवक्ता भूगोल

अत इस पत्र पर अधिकता प्रवक्ताओं को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यर्थी भूल शोकाणिका अभिलेख आदि देखखबर नियुक्ति पत्र भित्ति करने का कठूल कर। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अन्य प्रवक्ताके ठी स्थानात्मकता, प्राप्ति साइज के काटायाक सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को उस पत्र तक उक्त साथ ही यह भी भूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुकर्ष पत्र मे अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख जिसकी एक प्रति महाविद्यालय ने सुरक्षित रखी गाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निषि (कन्द्रीव्यूटरी प्राविडेन्ट परीक्षी शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रत्यावर पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकती है।

भवदीय
१५/११/१३

(सुमाष चन्द्र वर्मा)
सहायक कुलसचिव

- प्रतिलिपि सूचनाएँ पत्र अवश्यक कार्यवाही है—
 १. माननीय कुलसचिव जी— सूचनार्थ।
 २. कुलसचिव महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी।
 ३. परीक्षा नियंत्रण एवं ग्रामीण विद्यार्थी विद्यार्थी वा ग्रामीण।

(सुमाष चन्द्र वर्मा)
संटायल कुलसचिव

(संग्रहालय)
Astt. Registrar
(Affiliations)



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी-२
दूरभाष- ०५४२ २२२१७१८
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- ०५४२ २२२१७१८

पत्रांक : सप्टेम्बर-२०१३/प्राप्ति/०५/७/१५ / (प्राप्ति) / 2013

दिनांक : १३ अगस्त २०१३

संग्रहालय

बाहु राम सिंह महाविद्यालय,
मुर्दगांव, रेनकूट,
सोनभद्र।

निपत्य : स्वचित्तप्रेषित घोजनान्तर्गत प्रवक्ता दी०ए०८० के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
नहोदय,

मैं आप डास उपर्युक्त कक्षाये गये अभिलेख, उपर्युक्त संवित्ति चयन समिति की संस्थानी एवं प्रबन्ध समिति की संवेदनी यह विद्यालयसंस्थान के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की है। प्रबन्ध समिति विद्यालय के अनुसार उक्त प्रबन्धकार्यों को पौर्ण वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की है। प्रबन्ध समिति अधिकारी अन्य सम्बन्धीय विद्यालयों में योट कोई त्रुटि नहीं गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन दिमाग़ है। तथा उक्त विद्यालय के अधिकारी अन्य सम्बन्धीय विद्यालयों में योट कोई त्रुटि नहीं तो उनका अनुमोदन द्वातः नियुक्त किया जाना।

संख्या	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अवधार	प्रति विवर
१.	श्री सुरेन्द्र कुमार दूब	श्री रस० आर० दूब	०३.०२.८२	एम०स०-सी०, एम०ए०८०	प्रबन्धका दी०ए०८०
२.	श्री चन्द्रवीर सिंह	श्री जगदीश सिंह	१८.११.८३	एम०ए०, एम०ए०८०	प्रबन्धका दी०ए०८०
३.	श्री लियाकत अली	स्व० अब्दुल रहीम	१४.०७.८०	एम०ए०, एम०ए०८०	प्रबन्धका दी०ए०८०
४.	सुश्री अलका सिंह	श्री जगत नारायण सिंह	०१.०७.८२	एम०ए०, एम०ए०८०	प्रबन्धका दी०ए०८०

अतः उपरोक्त को शासनादेश के अलाके में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित कानूनी के सब गोपनीय अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (कानूनी एवं प्रबन्धका के उच्चरतासारित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्राचार्य को एवं एक प्रति साहित आदि अभिलेख पुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के १५ दिन के अन्वर उपलब्ध कराये, हरके साथ ही उह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में प्राचार्य को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। नियुक्ति पत्र प्राप्ति सम्बन्धीय विद्यालय में सुरक्षित रखें, प्राचार्य के लिए अनुवायी भविष्य निधि (कन्द्रीबूटी प्रविडेष्ट फफ्ट) अनिवार्य रूप से लान् किया जाय तथा वेतन एकाउण्टेंटी थेक द्वारा ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

मंवदीय,

संस्कृत कृतसंकेत

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हैं:-

१. मननीय कुलपति जी - सूचनार्थ।
२. कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
३. प्रोफेसर नियंत्रक, एम०ए०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

संहायक कुलसचिव

बाहु राम सिंह महाविद्यालय
खाटायार मुर्खारिण्यकूट) सोनभद्र

प्राचार्य



पत्रक : स०क००८०-सम्बन्धता/०५/७१ / (प्रानु) / २०१३

दिनांक : १३ जून, २०१३

नंबर :

प्रबोधक,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
मुर्दा, रेन्हूट,
झीलमढ़।

मेरा एक राष्ट्रिय प्रयोगी है जो जननार्थक प्रवक्ता बीएड० के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

ज्ञान,

मैं एक उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक ०६.०३.२०१३ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करूँ, हर संदर्भ में यह है कि आप दूसरे उपलब्ध कराये गये अभिलेख उपर्युक्त संदर्भित चरण समिति की मंसूतुति एवं प्रबन्ध समिति के द्वारा कुलपति एवं विद्यारापराना कुलपति नहीं दिया गया है। शासनादेश दिनांक ११ जनवरी, २००८ के आलोक में राष्ट्रिय प्रयोगी है जो जननार्थक प्रवक्ता एवं अनुमोदित प्रवक्ता द्वारा प्रत्यक्ष अभिलेखों को पौच्छ दर्द के लिए नियुक्त किए जाने को अनुमति प्रदान की है। महाविद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष अभिलेखों में यदि कोई वृद्धि पार्श्व गटी ले जाए तो इसके नियुक्त महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त घटनित अन्यथा अन्य महाविद्यालयों में जावें। अनुमोदन तक यह गवे रहे जानका अनुमोदन स्थित निरस्ता समझा जायेगा।

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद/विषय
१.	जी रमेश सिंह चन्द्रल	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	२०.०१.८०	एन०ए०, एम०ए०	प्रबन्ध समिति
२.	जी बबलू राम	श्री जीत राम	०१.०६.८५	एन०ए०, एन०ए०	प्रबन्ध समिति

अत उपरोक्त दो शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अन्यथी को भूल जाओगे अवश्यक अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संवेदन पत्र एवं अनुमोदित प्राप्तार्थी को एक प्रति सहित अन्य आगेलेख कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के १५ दिन के अन्दर उपलेख कराये, इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में प्राप्तार्थी को टिके जाने अनिष्ट नियुक्ति (कल्द्रीचूटी प्रविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा देतन एकाउण्टप्रेसी चैक द्वारा भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अध्यक्ष कुलसचिव

प्रतिनिधि मूलनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु—
१. माननीय कुलपति जी — सूचनाथ।
२. कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
३. परीक्षा नियंत्रक, म०गाँवकाशी विद्यापीठ, वाराणसी।

सहायक कुलसचिव

प्राचायन
बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खालपाथर मुर्दावारिणुकूट सोनापाट



पत्रांक : कु०स०-२ B स०३१०/१९६४

/05-601-2023 / 2023

दिनांक: १० अक्टूबर, 2023

सोला में

Учебник

वामू राम सिंह महाविद्यालय,
खाडपाथर, मुर्धना, रेणुकूट,
सोनभद्र।

विषयः— महाविद्यालय में ख्यवित्तप्रेपित योजनान्तर्गत स्नातक रस्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी०पी०ए८० एवं वी०ए८० पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर रस्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत सामाजिकशास्त्र विषय हेतु प्रवक्ताओं के संविदा विस्तरण के सम्बन्ध में।

प्राचीन

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 04.07.2023 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराय गय अनलॉग, रजिस्ट्रेशन विषय/पाठ्यक्रम में कार्यालय पत्रांक-कु0स0-2 B स0310/5197/05-10-प्र.अनु.-2015/2015, दिनांक 20 अगस्त, 2015 तथा पत्रांक-कु0स0-2 B स0310/5536/05-10-प्र.अनु.-2015/2015, दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक-कु0स0-2 B स0310/10880/05-227-प्र.अनु.-2016/2016, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं के सविदा विस्तरण की प्रवस्थ समिति की संरक्षित/रखीकृति पर विचारेपरान्त गा० कुलपति जी द्वारा अधिवर्धिता आयु तक शासनादेश संख्या-226/ सत्तर-2-2020-18 (31)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 के आलोक में अधोलिखित शर्तों की अधीन सविदा विस्तरण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है-

1. संचालित पाठ्यक्रम में छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश उस पाठ्यक्रम विशेष के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा। शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को देय वेतन उस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष ऑडिट सम्पन्न कराकर ऑडिट आख्या में इस आशय गत स्पष्टता: उल्लेख हो कि आय का 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों के खर्च किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक सत्र में 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
 2. शिक्षकों की सेवा, सामव्यधित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक करते हुये गाठ कुलपति जी का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
 3. शिक्षकों को आकृतिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, चिकित्सीय अवकाश एवं अन्य अवकाश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुग्रान्य होगा।
 4. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कार्यकारी घण्टे एवं शिक्षक छात्र का अनुपात परिनियमावली/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय परिनियम/शारान द्वारा समग्र-समग्र पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।
 5. शिक्षकों रो परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन/वर्कशाप/सेगीनार/कान्फ्रेन्स में प्रतिभाग करने हेतु अनुगति प्रदान की जा सकती है।
 6. शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तों के साथ अनुबन्ध पंत्र में किया जायेगा। अनुबन्ध पंत्र की एक प्रति शिक्षक, एक प्रति महाविद्यालय तथा मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालय द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दश सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने दश में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के विषद् कार्यवाही को जारी, जिसमें उस पाठ्यक्रम विशेष की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर भी विवार किया जा सकता है। अधोलिखित आचर्षी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुगोदित पाये जाने पर उनका संविदा विस्तरण का अनुगोदन रखता निरस्त रागझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	संविदा रागाप्ति की तिथि	नयी संविदा प्रारम्भ की तिथि	पदनाम	आधार
1.	श्री विकास प्रताप सिंह	श्री पारस नाथ सिंह	01.07.1984	06.09.2020	07.09.2020	प्रवक्ता वी०पी०ए८०	543403059860
2.	श्री आशुतोष तिवारी	श्री गजाधर प्रसाद तिवारी	01.07.1989	23.09.2020	24.09.2020	प्रवक्ता वी०ए८०	853003538964

3.	डॉ० जय प्रकाश भिश्व	श्री शिव प्रसाद भिश्व	04.07.1967	05.04.2021	06.04.2021	प्रवक्ता वी०ए८०	6953996665259
4.	श्री अरविन्द कुमार यादव	श्री पारस नाथ यादव	01.01.1984	05.04.2021	06.04.2021	प्रवक्ता वी०ए८०	908571760386
5.	कु० जौली अम्बष्टा	श्री जय नारायण लाल	07.10.1977	22.11.2021	23.11.2021	प्रवक्ता समाजशास्त्र (P.G.)	598531035696

अतः उपर्युक्त अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्फ्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्यतः देय होगा, तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के पूर्णता सम्बन्धी अभिलेख (अनुमोदन पत्र, वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेण्ट, उपस्थित पंजिका आदि) महाविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में चयनित/अनुमोदित प्रवक्ता द्वारा त्यागपत्र/अन्यत्र नियुक्ति होने की स्थिति में विज्ञापन प्रकाशित कराकर 30 दिनों के अन्दर संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं का चयन अवश्य करा लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रवन्धन की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव
३०/०१/२३ १११७

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
 1. वै०स०, कुलपति - मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
 2. परीक्षा नियंत्रक, म०गाँ०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

|
कुलसचिव



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-2
दूरभाष- 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

दिनांक: २८ सितम्बर, 2023

पत्रांक : कु०स०-२ B स०अ०/२९६।८ /०५-५३९-२०२२/२०२३,
सेवा में.

प्रबन्धक,

वारू राम सिंह महाविद्यालय,
खाडपाथर, मुर्धवा, रेनुकूट,
सोनमद.

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत वी०ए० पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष के अनुगोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 19.05.2023 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी का अनुमोदन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त सत्यापन आख्या के क्रम में अधिवर्पिता आयु तक के लिए अनुमोदन शासनादेश संख्या-226/सत्तर-२-२०२०-१८(३१)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 के आलोक में अधोलिखित शर्तों की अधीन नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है-

1. संचालित पाठ्यक्रम में छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश उस पाठ्यक्रम विशेष के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा। शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को देय वेतन उस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष ऑडिट सम्पन्न कराकर ऑडिट आख्या में इस आशय का स्पष्टतः उल्लेख हो कि आय का 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों के खर्च किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक सत्र में 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
2. शिक्षकों की सेवा, सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मा० कुलपति जी का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
3. शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, चिकित्सीय अवकाश एवं अन्य अवकाश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगा।
4. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कार्यकारी घण्टे एवं शिक्षक छात्र का अनुपात परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय परिनियम/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।
5. शिक्षकों से परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन/वर्कशाप/सेमीनार/कार्फ्रेन्स में प्रतिमाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।
6. शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तों के साथ अनुबन्ध पत्र में किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र की एक प्रति शिक्षक, एक प्रति महाविद्यालय तथा मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालय द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने दशा में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसमें उस पाठ्यक्रम विशेष की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। अधोलिखित चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये जाने पर उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम	आधार कार्ड नं०
1.	डॉ० अजय सिंह यादव	श्री राम केवल	04.08.1979	पी०ए०ड०३०	विभागाध्यक्ष वी०ए०	306194064320

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। विभागाध्यक्ष के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान वैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के पूर्णता सम्बन्धी अभिलेख (अनुमोदन पत्र, वेतन भुगतान का वैंक स्टेटमेंट, उपस्थित पंजिका आदि) महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में चयनित/अनुमोदित विषय/पाठ्यक्रम प्राचार्य द्वारा त्यागपत्र/अन्यत्र नियुक्ति होने की स्थिति में विज्ञापन प्रकाशित कराकर 30 दिनों के अन्दर संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्राचार्य का चयन अवश्य करा लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
1. वी०स०, कुलपति - मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, म०गां०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

भवदीय,

B. Banerji
कुलसचिव
23/09/2023

1
कुलसचिव



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-२
दूरभाष— ०५४२ २२२६८९
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- ०५४२ २२२६८९

पत्रांक : क०१०-२ B स०३०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३,
सेवा में,

दिनांक: २ जून, २०२३

प्रबन्धक,

बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाडपाथर, मुर्धा, रेनुकूट,
सोनभद्र।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत रनातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी०ए८०, चित्रकला एवं शारीरिक शिक्षा, वी०पी०ए८० पाठ्यक्रम प्रवक्ता, कला संकाय में अंग्रेजी, हिन्दी, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, राजनीतिशास्त्र, वाणिज्य संकाय में वी०का० पाठ्यक्रम, विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, जैव प्रौद्योगिकी तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान एवं भूगोल विषयों में प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 19.05.2023 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अग्रिमेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की रवीकृति पर विचारोपरान्त मा० कुलपति जी द्वारा अधिवर्षिता आयु तक शासनादेश संख्या-226 / सत्तर-२-२०२०-१८(३१) / 2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 के आलोक में अधोलिखित शर्तों की अधीन नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है—

1. संचालित पाठ्यक्रम में छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश उस पाठ्यक्रम विशेष के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा। शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय वेतन उस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष ऑडिट सम्पन्न कराकर ऑडिट आख्या में इस आशय का स्पष्टतः उल्लेख हो कि आय का 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के खर्च किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक सत्र में 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
2. शिक्षकों की सेवा, सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मा० कुलपति जी का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
3. शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, विकित्सीय अवकाश एवं अन्य अवकाश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगा।
4. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कार्यकारी घण्टे एवं शिक्षक छात्र का अनुपात परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय परिनियम/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।
5. शिक्षकों से परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन/वर्कशाप/सेमीनार/कान्फ्रेंस में प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।
6. शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तों के साथ अनुबन्ध पत्र में किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र की एक प्रति शिक्षक, एक प्रति महाविद्यालय तथा मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालय द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने दशा में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसमें उस पाठ्यक्रम विशेष की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। अधोलिखित चयनित अग्रिम अन्य गहाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये जाने पर उनका अनुमोदन स्वतः निररत समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता/विषय	पदनाम	आधार कार्ड नं०
1.	श्री रूपेन्द्र कुमार यादव	श्री राधेश्याम यादव	01.07.1992	नेट	प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान	308903671707
2.	डॉ अशोक बागड़ी	श्री भागीरथी बागड़ी	24.03.1985	पी०एच०डी०	प्रवक्ता जन्तु विज्ञान	861691138442
3.	डॉ राहुल द्विवेदी	श्री सन्तोष कुमार	15.07.1987	पी०एच०डी०	प्रवक्ता गणित	471398669566
4.	श्री प्रदीप कुमार यादव	श्री विजय यादव	20.12.1989	नेट, सामजशास्त्र	प्रवक्ता वी०ए८०	428065976904

5.	श्री अखिलेश कुमार यादव	श्री हरि श्याम यादव	03.05.1985	नेट, भूगोल	प्रवक्ता वी0एड0	203294637674
6.	श्री अरुण प्रताप सिंह	श्री जवाहर लाल कुशवाहा	05.12.1982	नेट	प्रवक्ता वी0एड0 शारीरिक शिक्षा	977900971846
7.	श्री इरशाद अली	श्री मोल्हे	05.01.1994	नेट	प्रवक्ता वी0एड0 चित्रकला	235861620282
8.	श्री धीरेन्द्र कुमार	श्री सदानन्द सरोज	12.06.1990	नेट	प्रवक्ता समाजशास्त्र (P.G.)	909451527148
9.	श्री प्रेमचन्द	श्री श्रीनाथ	10.08.1982	नेट	प्रवक्ता हिन्दी (P.G.)	538447471144
10.	डॉ आरती श्रीवास्तव	स्व० भरत लाल श्रीवास्तव	01.02.1980	पी0एच0डी0	प्रवक्ता प्राचीन इतिहास	296035973159
11.	श्री सुरेश कुमार	श्री राम लौटन	22.06.1979	नेट	प्रवक्ता हिन्दी (U.G.)	588610632497
12.	श्री रमाकान्त वर्मा	श्री हरि शंकर वर्मा	20.12.1993	नेट	प्रवक्ता वी0पी0एड0	948460459672
13.	श्री संजय गिरी	श्री एम0पी0 गिरी	03.05.1987	नेट	प्रवक्ता वी0पी0एड0	692048903566
14.	डॉ रमा शंकर शुक्ल	श्री रामचन्द्र शुक्ल	26.07.1985	पी0एच0डी0	प्रवक्ता वी0पी0एड0	976707051856
15.	श्री अतुल वर्मा	श्री राधेश्याम वर्मा	07.07.1987	नेट	प्रवक्ता वी0पी0एड0	579944390749
16.	कु0 नजमीन बानो	श्री आविद अली	03.09.1991	नेट	प्रवक्ता गृहविज्ञान (P.G.)	856220368268
17.	श्री रामू	श्री फूलचन्द	17.07.1994	नेट	प्रवक्ता भूगोल (P.G.)	691803957761
18.	श्री रामकिशून	श्री भग्गल निषाद	06.09.1994	नेट	प्रवक्ता भूगोल (P.G.)	329422162639
19.	श्री दीनदयाल यादव	श्री मुरली राम यादव	05.06.1984	नेट	प्रवक्ता भूगोल (U.G.)	531010206280
20.	डॉ दुर्गाविती शर्मा	स्व० रामचरन शर्मा	01.02.1983	पी0एच0डी0	प्रवक्ता गृहविज्ञान	579321459834
21.	डॉ रेखा	श्री राजपति राम	02.08.1986	पी0एच0डी0	प्रवक्ता अर्थशास्त्र	363138525842
22.	श्री योगेन्द्र सिंह	श्री राज कुमार यादव	10.12.1996	नेट	प्रवक्ता राजनीति शास्त्र	676782588000
23.	डॉ सुलभ सुधाकर शर्मा	श्री सोहन लाल वर्मा	06.04.1982	पी0एच0डी0	प्रवक्ता अंग्रेजी	305188585859
24.	श्री अभिषेक सिंह	श्री ओम प्रकाश सिंह	09.10.1987	नेट	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा	358855415350
25.	डॉ राजेश कुमार	श्री राज पाल सिंह	10.07.1985	नेट	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान	489404247872
26.	श्री दिव्य विकास सिंह	श्री प्रमोद कुमार सिंह	15.07.1989	नेट	प्रवक्ता जैव प्रौद्योगिकी	710997648065
27.	श्री छेदीलाल प्रजापति	श्री मुकित नारायण प्रजापति	17.01.1990	नेट	प्रवक्ता वी0काम0	646443061507
28.	डॉ मानव सिंह	श्री डी0ओ0 सिंह	26.07.1981	पी0एच0डी0	प्रवक्ता वी0काम0	574885574262
29.	श्री प्रवीन गुप्ता	श्री हरिश्चन्द्र गुप्ता	20.02.1991	नेट	प्रवक्ता वी0काम0	421950905920
30.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	श्री सभाजीत	07.07.1987	नेट	प्रवक्ता रसायन विज्ञान	990566260169

(Signature)

.....3



-3-

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के पूर्णता सम्बन्धी अभिलेख (अनुमोदन पत्र, वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेण्ट, उपरिथित पंजिका आदि) महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में चयनित/अनुमोदित प्रवक्ता द्वारा त्यागपत्र/अन्यत्र नियुक्ति होने की स्थिति में विज्ञापन प्रकाशित कराकर 30 दिनों के अन्दर संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं का चयन अवश्य करा लिया जाय, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।

भवदीय,

Pandit
कुलसचिव
Chm/17/6123 भा०१०

1
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. वै०स०, कुलपति — मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियन्त्रक, म०गां०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-2
दूरभाष- 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु०स०-२ B स०अ०/ १९३५) / ०५-३३-२०१७/२०२२,

दिनांक: ५ अप्रैल, २०२२

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाडपाथर, मुर्धवा, रेनुकूट,
सोनभद्र।

विषय:- स्वचित्पोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 03.03.2022 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं चयनित प्राचार्य के चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त मा० कुलपति जी द्वारा अधिवर्धिता आयु तक शासनादेश संख्या-226 / सत्तर-2-2020-18(31) / 2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 के आलोक में अधोलिखित शर्तों की अधीन नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है-

1. संचालित पाठ्यक्रम में छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त आय का कम से कम 75 प्रतिशत अंश उस पाठ्यक्रम विशेष के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किया जायेगा। शिक्षकों एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों को देय वेतन उस पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा सीटों की संख्या पर निर्भर करेगा। इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष ऑडिट सम्बन्ध कराकर ऑडिट कर्मचारियों के खर्च किया जा आव्यासा में इस आशय का स्पष्टतः उल्लेख हो कि आय का 75 प्रतिशत अंश शिक्षकों/शिक्षणेत्र कर्मचारियों के खर्च किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक सत्र में 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
2. शिक्षकों की सेवा, सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम के चलते रहने अवधा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी। असन्तोषजनक सेवा होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा विष्णुदन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये मा० कुलपति जी का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
3. शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश, प्रसूति अवकाश, कर्तव्य अवकाश, विकित्सीय अवकाश एवं अन्य अवकाश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगा।
4. स्वचित्पोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के कार्यकारी घट्टे एवं शिक्षक छात्र का अनुपात परिनियमावली/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय परिनियम/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।
5. शिक्षकों से परीक्षा सम्बन्धी कार्य कराया जा सकता है तथा इन शिक्षकों को रिफ्रेशर/ओरिएन्टेशन/दर्कशाप/सेमीनार/कानफ्रेन्स में प्रतिमाग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है।
6. शिक्षकों को दिये जाने वाले वेतन तथा अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख अन्य शर्तों के साथ अनुबन्ध पत्र में किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र की एक प्रति शिक्षक, एक प्रति महाविद्यालय तथा मूल प्रति विश्वविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

महाविद्यालय द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शर्तों का अनुपालन न किये जाने दशा में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसमें उस पाठ्यक्रम विशेष की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर भी विद्यार किया जा सकता है। चयनित प्राचार्य अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये जाने पर उनका अनुमोदन रखतः निरस्त समझा जायेगा।

आधार कार्ड नं०	पदनाम	शैक्षिक-अर्हता	जन्मतिथि	पिता का नाम :	नाम	क्र०
514758671928	प्राचार्य	पी०एच०ड०	21.12.1960	स्व० मधुवन सिंह	डॉ० विजय प्रताप सिंह	1.

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्त पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्त पत्र निर्गत करने का कट्ट करें। प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान वैक के नायम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के पूर्णता सम्बन्धी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय में संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में चयनित/अनुमोदित प्रवक्ता द्वारा त्यागपत्र/अन्यत्र नियुक्ति होने की स्थिति में विज्ञापन प्रकाशित कराकर 30 दिनों के अन्दर संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं का चयन अवश्य करा तिया जाय, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रवन्धन की होगी।

भवदीय,

१४
कुलसचिव
१४/४/२०२२
१४/४/२०२२

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. वै०स०, कुलपति - मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, म०गां०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-२
दूरभाष- 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु०स०-२ B स०अ०/१०/५० / ०५-३३-२०१७ / २०२१
सेवा में,

दिनांक: ४८ मार्च, २०२१

प्रबन्धक,
बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाडपाथर (मुर्धवा) रेनुकट.
सोनमद।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी०ए८० पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 16.07.2020 एवं 14.10.2020 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/९७, दिनांक ०९ मई, २००० एवं सहपृष्ठि शासनादेश संख्या-५६९९/सत्तर-२-२००७-२(85)/९७, दिनांक ११ जनवरी, २००८, शासनादेश संख्या-२२१८/सत्तर-२-२००७-२ (85)/९७ दिनांक २३ अगस्त, २०११, शासनादेश संख्या-९६८/सत्तर-२-२०१३-१८ (९९)/२०१३ दिनांक ३० मई, २०१३ एवं शासनादेश नं० १०१०/७०-३-२०१५-वी०ए८० (०५)/२०१४ दिनांक १५ जून, २०१५ के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर १०१०/७०-३-२०१५-वी०ए८० (०५)/२०१४ दिनांक १५ जून, २०१५ के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर अधोलिखित अध्यर्थियों को उनके सम्मुखांकित विवरण के अनुसार पॉच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। अधोलिखित अध्यर्थियों को उनके सम्मुखांकित विवरण के अनुसार पॉच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशारान पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अध्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा होगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	रोकिक अर्हता	पदनाम	आधार कार्ड नं०
१.	श्री सतीश कुमार गुप्ता	श्री छेदी लाल गुप्ता	२०.०५.१९८९	गणित	प्रवक्ता वी०ए८०	३१४८०३८२१७८८
२.	श्री अमित कुमार यादव	श्री मिश्री लाल यादव	२०.०१.१९९२	अर्थशास्त्र	प्रवक्ता वी०ए८०	७८९४७९४२८०८३
३.	कु० विता श्रीवास्तव	श्री भगवत शरण श्रीवास्तव	१६.०७.१९८०	हिन्दी	प्रवक्ता वी०ए८०	३००९६२०२३१६
४.	श्री सुनील कुमार सिंह	श्री लाल जी सिंह	१५.०७.१९८५	भूगोल	प्रवक्ता वी०ए८०	६३२८०४११८६१०
५.	श्री पंकज कुमार दिनेश	श्री सुन्दर लाल	१५.०५.१९८८	राजनीतिशास्त्र	प्रवक्ता वी०ए८०	२३७५३३५२६६६५
६.	श्री हीरा लाल वर्मा	श्री चन्द्रिका प्रसाद	२१.०७.१९८०	शिक्षाशास्त्र	प्रवक्ता वी०ए८०	७१५९०६६६८८०७
७.	श्री अमित कुमार	श्री राम लाल प्रजापति	२५.०४.१९८६	संस्कृत	प्रवक्ता वी०ए८०	८१३३९७९५२४००
८.	श्री चंचल कुमार यादव	श्री राजनाथ यादव	२०.०७.१९९०	शिक्षाशास्त्र	प्रवक्ता वी०ए८०	९८१३७५१४६०१०
९.	श्री सुनील कुमार	श्री लाल दास	०१.०१.१९८३	प्राचीन इतिहास	प्रवक्ता वी०ए८०	९८९७३५७३७२१२

उपुर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अध्यर्थी एवं प्रबन्धक के रवहस्तान्तरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को तथा एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के १५ दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित प्रवक्ता एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कार्ब्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कार्ब्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन रखी जाय। साथ ही सूचित किया जाता है कि प्राचार्य पद पर चयनित डॉ० भुगतान वेंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही सूचित किया जाता है कि प्राचार्य पद पर चयनित डॉ० भुगतान वेंक के माध्यम से ही किये जाने वाले वेतन आदि का सम्बन्धित महाविद्यालय तथा विभागाध्यक्ष पद पर चयनित डॉ० दीपेश कुमार का विजय प्रताप सिंह का किये जाने वाले अध्यापन कार्य का सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा निर्गत पत्रों के सत्यापनोपरान्त अनुमोदन किया जायेगा। शासनादेश अध्यापन कार्य का सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्रों के सत्यापनोपरान्त अनुमोदन किया जायेगा। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

कुलसचिव
(Signature)

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
१. वी०ए८०, कुलपति - मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
२. परीक्षा नियंत्रक, म०गाँवकाशी विद्यापीठ, वाराणसी।

सहायक कुलसचिव
(सम्बद्धता)
Astt.Registrar
(Affiliation)



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी-२
दूरभाष- ०५४२ २२२१७१८
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- ०५४२ २२२१७१८

पत्राक : स०कु०स०-सम्बद्धता/०५/७४७/(स० वि.)/२०१३,

दिनांक : १५ जून, २०१३

सेवा में

प्रबन्धक,

बादू राम सिंह महाविद्यालय,
खाड़पाथर, मुर्द्दा, रेनूकूट,
सोनभद्र।

दिक्षय :- विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं के संविदा विस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त छिपयक अपने पत्र दिनांक 15.04.2013 का संदर्भ प्रेहण करने का काष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2008 के आलोक में प्रबन्ध समिति की संस्थुति दिनांक 09.12.2012 के काम में स्ववित्तपोषित योजनानात्मक कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर के पत्राक पू०विठ०वि०/सम्बद्धता/०८-०७/तीन/२००९/८३७ दिनांक 07.09.2009 द्वारा 15.12.2007 से पॉच वर्षों हेतु सेवा प्रदान की गयी अधोलिखित प्रवक्ताओं का संविदा पुनः विस्तरण उनके नाम के सम्मुखांकित तिथि से आगामी ५ वर्षों के लिए विस्तारित अधोलिखित प्रवक्ताओं का संविदा पुनः विस्तरण उनके नाम के सम्मुखांकित तिथि से आगामी ५ वर्षों के लिए दिये जाने हेतु मा०कुलपति जी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	अध्यापक नाम	पिता का नाम	विषय	पूर्व संविदा समाप्ति तिथि	नयी संविदा प्रारम्भ की तिथि
१.	डॉ० विजया शाही	श्री के० पी० शाही	प्रवक्ता गृहविज्ञान	14.12.2012	15.12.2012
	डॉ० अशोक कुमार शुक्ला	श्री शीतला प्रसाद	प्रवक्ता संस्कृत	14.12.2012	15.12.2012

कृपया अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि के स्पष्ट उल्लेख के साथ ही अध्यापकों द्वारा ही अनुदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्रिडिडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन एकाचण्टपेयी चेव द्वारा ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव

15.6.13

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- माननीय कुलपति जी - सूचनार्थ।
- कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- परीक्षा नियंत्रक, म०गाँ०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

सहायक कुलसचिव

बीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:-

कुलसचिव

बीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
जौनपुर (उ०प्र०)

तेवा में,



पत्रांक 78/8/वड्डा/04

दिनांक 09/2/2004

मध्यन्धन,
बाबू राम टेंट, नदीगंगा बाजार,
बाड़ीपाटार, उत्तरप्रदेश २०७०८०।

विषय:-

बाबू राम टेंट, बाड़ीपाटार, बाड़ीपाटार उत्तरप्रदेश २०७०८०।
स्वप्रिवत्तपोषी योजनान्तर्गत प्रक्रिया अनुमोदन के तथ्यन्य में।

महोदय,

श्रृंगया उपर्युक्त विषयक ज्ञाने पत्र दिनांक-23. ३. २००४ वा तथा इह ज्ञाने करने का कड़ा बोर्ड में दूर्घात करता है कि वहा जानकारी द्वारा वीर गयी जलसुखी एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये जानकारीयों के बाधार पर विकारोपणान्त छुलपति भट्टोदय ने योजनालिखित जनसाधारणों को जानकारी दिनांक- ९ मई, २००० के आलोक ने स्वप्रिवत्तपोषी योजनान्तर्गत ३ ज्ञानों के विषय के बाधार पर नियुक्ति किए जाने द्वारा जनसाधारणों को जानकारी दी गयी है। नदीगंगा बाजार जलसुखीयों में यदि कोई दुर्घटना हो तो उत्तर किए जाने वाले विषय ज्ञाने पत्र के बाधार होगा ज्ञाना किया गया जनसुखी द्वारा उपर्युक्त स्वतः द्वारा जानकारी दी गयी है।

- | | |
|---------------------------|---------------|
| १. डॉ रमाकान्त निष्ठा | महिन्द्री |
| २. डॉ ज्योति रानी बायतवाल | मर्टिन इतिहास |
| ३. डॉ अभ्यंक रुमार निष्ठा | जनाजगास्त |
| ४. अरोक्त रुमार गुरुल | हिंकल |
| ५. डॉ त्रिविता पाण्डेय | झाँसी |
| ६. डॉ रुमारी विजया गाढी | गुरुद्वारा |

गते: उपरोक्त ज्ञाने पत्र को दूर्घात जानकारीयों के बाधार पर जनसुखी द्वारा उपर्युक्त कर, नियुक्ति पत्र वीर गयी जलसुखी द्वारा जनसाधारणों के बाधार पर जानकारी दी गयी जलसुखी द्वारा जनसाधारणों के बाधार पर जनसाधारणों के उपलब्ध कराये।

महाराजा,
महाराजा

बाबू राम टेंट
बाड़ीपाटार - २०७०८०
जौनपुर

बाबू राम टेंट
बाड़ीपाटार - २०७०८०
जौनपुर

बाबू राम टेंट
बाड़ीपाटार - २०७०८०
जौनपुर (उ०प्र०)

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि. / सम्बद्धता / ०८-०७(टी-१) / २००९ / ८३७

दिनांक

७.९.२००९

सेवा में,

प्रबन्धक,

बाबू राम सिंह महाविद्यालय,
खाडपाथर, मुरधवा (रेनुकूट), सोनगढ़।

विषय :- बाबू राम सिंह महाविद्यालय, खाडपाथर, मुरधवा (रेनुकूट), सोनगढ़ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृत, भूगोल एवं गृहविज्ञान विषय में अनुमोदित/कार्यरत प्रवक्ताओं के संविदा-विस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-०७.०५.२००९ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय को आदेश दिनांक-०१.०९.२००९ के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक-११ जनवरी, २००८ के आलोक में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय, के पत्र संख्या-७८१८ / सम्बद्धता / २००४, दिनांक-०९.१२.२००४ द्वारा अनुमोदित एवं प्रबन्धक द्वारा प्राप्त कराये गये अभिलेखों के आधार पर कार्यरत निम्नलिखित प्रवक्ताओं का संविदा-विस्तरण उनके नाम के सम्मुख तिथि से पाँच वर्षों के लिये किये जाने की प्रविष्टि विश्वविद्यालय अभिलेखों में कर ली गयी है—

नाम	पिता का नाम	जन्म-तिथि	प्रवक्ता	संविदा-विस्तरण तिथि
डॉ. ज्योति रानी जायसवाल	श्री रामनाथ जायसवाल	०२-१०-१९७७	प्रा. इतिहास	१५.१२.२००७ से ५ वर्ष
डॉ. अमर कुमार मिश्र	श्री अमर कान्त मिश्र	२१-११-१९५९	समाजशास्त्र	१५.१२.२००७ से ५ वर्ष
श्री अशोक कुमार शुक्ल	श्री शीतला प्रसाद शुक्ल	०५-०१-१९७१	संस्कृत	१५.१२.२००७ से ५ वर्ष
डॉ. सविता पाण्डेय	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	१९-०६-१९६९	भूगोल	१५.१२.२००७ से ५ वर्ष
डॉ. विजया शाही	श्री के.पी. शाही	१६-१०-१९६४	गृहविज्ञान	१५.१२.२००७ से ५ वर्ष

मर्वदीय,

डॉ. नारा
कुलसचिव



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेनुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ0प्र0)

पत्रांक B.R.S.P.G./५५३५/२०२३

दिनांक २५/०६/

नियुक्ति पत्र

डॉ० / श्री / श्रीमती / सुश्री प्रेमचंद्र
 पुत्र / पुत्री / श्री प्रीति चंद्र निवासी ग्राम + पोस्ट-
मरडरा, अम्बेडकरनगर, उपरोक्त दिनांक २२ जून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कला - PG में स्कॉलरशिप के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / / 2022, तद्दिनांक—

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ० / श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेनुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Prem chandra

प्राप्त किया

/
प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उप्र०)

पत्रांक.....

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ/ श्री/ श्रीमती/ सुश्री आरती श्रीवास्तव

पुत्र/पुत्री/श्री मरत लाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम + पोस्ट-
4-F-16, झोलुरा, राष्ट्रीयसंग्राम सोनभद्र, 350
को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८ ल०अ०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३
दिनांक २२ मई २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग कला - UG में प्रवक्ता-प्राक्तिक्षम के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक


पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / 2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ/ श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

आरती श्रीवास्तव

प्राप्त किया


प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला—सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक B.R.S.P.G./५३३८/२०२३

दिनांक २५/०६/२०२३

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री/श्रीमती/सुश्री पीरे-न्दु तुमार

पुत्र/पुत्री/श्री सद्विनान्द सरोज निवासी ग्राम + पोस्ट—
काली, कालीवाँ, गिरीषपुर + ३५०को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या २०२०-२१ संख्या २९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३
दिनांक २२ अगस्त २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग कैला - P.G. में प्रवक्ता-समाजशास्त्र के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक
प्रबन्धक
बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

पत्रांक बी०आर०एस०एस०/ / 2022, तद्दिनांक—

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

/ प्रबन्धक

प्राप्त किया



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सन्देश-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

क्रम B.R.S.S.M/ ५१३५/२०२३

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री श्रीमती ईरवा पुत्र/पुत्री/श्री
राजपाते राम निवासी ग्राम + पोस्ट- सराम मानिक
राज, गुरौनी, गामीपुर, उप०- २७५२०५ को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८ स०अ०/२९३३८/०५-५३९-२०२२-२०२३ दिनांक
२२ जून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग कला-VG में प्रवक्ता-आधिकारी के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / 2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक

प्राप्त किए
द्वा० ई०



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक.....

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री/श्रीमती/सुश्री सुरेश कुमार
 पुत्र/पुत्री/श्री राम लोट्टन निवासी ग्राम + पोस्ट-
 ३०सरहाँ, माझ कुआँ, फैलालपुर, अन्धेरीकरनगर, ३प्र०
 को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०३०-२८८७५०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३
 दिनांक २२ पून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कला-UG में प्रवक्ता-इन्डी के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम०/

/2022, तददिनांक-

प्रबन्धक

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Sureshkumar
सुरेश कुमार

[Signature]
प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक... B.R.S.P.G. COLLEGE | 5135 | 2023

दिनांक... 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री भीरोन्द्र सिंह

पुत्र/पुत्री/श्री

राज कुमार आदव निवासी ग्राम + पोस्ट- चैत्ररा

सराय मसरौफ इलाहाबाद + उपरा

पत्र पत्रांक संख्या कु०स०२८ स०अ०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३ दिनांक
 २२ अप्रृष्ट २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कला - UG में प्रवक्ता (शास्त्रीय शिक्षक) पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / 2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्रप्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

 Yogendra
 प्रभन्धक

प्रबन्धक

1482/2002-03

डे-508



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उप्रो)

मोबाइल नं०-9454844669
दूरभाष नं०-(05446) 2557

पत्रांक...B.R.S.S.M) 5135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री सुलभ सुधाकर कर्मी पुत्र/पुत्री/श्री
 सौहना लाल कर्मी निवासी ग्राम + पोस्ट- १४, लैर
 सीतान्नाम, खेड़ा, आँवला, बरेली, यूपी-243301 को विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८ दा०उ०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/दिनांक
 २२ अग्नि २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कला-UG में प्रबन्धक (अधिकारी) के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

पत्रांक बी०आ००एस०एस०एम०/ /2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Received
S. Sharma

गवृ राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सन्मद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उप्रो)

पत्रांक.....B.RSSM/5135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री जगद्गुरु रामेश्वर पुत्र/पुत्री/श्री
 जोग त्रिकारा सिंह निवासी ग्राम + पोस्ट- ७७९, व्यासीमारा
 भण्डी, आदर्का नगर, खुन्तानपुर, ३५० को विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कु० स०-२८ स० का०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३
 २२ अ० ८० २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कला- VCA में प्रवक्ता-शासीक के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / 2022, तददिनांक-


प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

मासूम
A. S.
रामेश्वर

प्रबन्धक
प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक B.R.S.S.M/15135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री सुजनी नाममीन बानी पुत्र/पुत्री/श्री

उनाविद् अली निवासी ग्राम + पोस्ट- 340

कुमारगंगा, बावन, छैताबाद, 340 को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स० - २८ स०अ० / २९३३८/०५-५३९ - २०२२/२०२३ दिनांक

२२ जून २०२६ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग कुलाची - P.G. में प्रवक्ता/गृहविद्यार्थी के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / 2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्राप्ति

N Bas

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

82/2002-03

५-५०८



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

मोबाइल नं०-9454844669
दूरभाष नं०-(05446) 255777

पत्रांक B.R.S.S.M. १५।३५।२०२३

दिनांक २५।०६।२०२३

नियुक्ति पत्र

डॉ/श्री चुक्षी कुर्गावती शर्मा पुत्र/पुत्री/श्री
 रामचरण शर्मा निवासी ग्राम + पोस्ट- भालीपुर
 कुलानपुर, ३.न्नरप्रदेश को विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८ स०अ०/२९३३४/०५-५३९-२०२२/२०२३ दिनांक
 २२ मई २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग कृता - V.G. में प्रवक्ता - द्वृष्टिक्विज्ञाके पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

पत्रांक बी०आ०र०ए०स०ए०स०ए० / / 2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

पाठ्य लिखा

Durga

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उप्रो)

पत्रांक B.R.S.S.M) 5135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री दीनदयाल यादव

मुरली शम यादव

पुत्र/सुत्री/श्री

मानीपुर

मधवापुर

, फूलपुर, साज्जनगढ़, उपरोक्त

पत्र पत्रांक संख्या २०८०-२१३३८/०५-५३९-२०२२/२०२५ दिनांक

22 जून 2023

द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग कला - UG में प्रवक्ता-मूर्गी के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम०/

/2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।


१८/६/२३,

प्रबन्धक

-1482/2002-03

राड-508

B.R.S.P.G. COLLEGE
KHANDPATHAR, U.P.



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सन्मद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ0प्र0)

पत्रांक.....

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री सामाजिकशुल्क

पत्रांक अधिकारी - निवासी ग्राम + पोस्ट- मैट्रिकुलेशन रजिस्ट्रेशन

पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८८०३०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३ दिनांक २२ जून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग कला - MA में त्रिवक्ता - मूर्गीत के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आ०२०ए०स०ए०स०ए०म०/ / 2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्राप्त छिपा

राम किशन

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सन्मद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उप्र०)

दिनांक 24/06/2023

पत्रांक.....

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री राम

पुत्र/पुत्री/श्री

फूलचन्द्र निवासी ग्राम + पोस्ट- सरोनी, पार्वती पानपुर, अंतरमहेश्वर को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८ स०अ०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३ दिनांक २२ जून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग कला - रस्म-शृणु में प्रवक्ता-मुख्योल के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम०/ / 2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्राप्तकिम्बा
Ramu


प्रबन्धक
बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ0प्र0)

पत्रांक... BRSSM/5135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री/श्रीमती/सुश्री अशोक बागड़ी
 पुत्र/पुत्री/श्री मातीरची बागड़ी निवासी ग्राम + पोस्ट-
465, रामदेवनगर, उपपौर, माठोला
 को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८ स०३७०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३
 दिनांक २२ जून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग विज्ञान - V.G. में प्रवृत्ति - Zoology के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

Zoology
प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम०/ / 2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Received
A. Bagdi

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ0प्र0)

पत्रांक BRSSM/5135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ/ श्री/ श्रीमती/ सुश्री रमेश कुमार आदव

पुत्र/पुत्री/ श्री राधेशभास्म आदव निवासी ग्राम + पोस्ट-

M.A.I., खाड़पाथर, जौनपुर, 24

को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स० - २८८०५०/२९३३४/०५-५३९२०२२/२०२३
दिनांक २२ जून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग विज्ञान - V.G. में प्रवक्ता - Botany के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम०/५१३५ /2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ/ श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक.BRSCLM/८१३५/२०२३

दिनांक २५/०६/२०२३

नियुक्ति पत्र

डॉ/श्री DHARMENDRA KUMAR

पुत्र/पुत्री/श्री

SATHA JEET

निवासी ग्राम + पोस्ट- BASAHI YA., Post-

BASAKHAI, Distt.- AMBEDKAR NAGAR, PIN- 224129 को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०२८ स०अ०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३ दिनांक

22 अू० 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग विज्ञान (B.Sc.) में प्रवक्ता-Chemistry के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

पत्रांक बी०आ०२०४०४०४०४०४०००/८१३५ /२०२३ तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक... BRSSM/5135/2023

दिनांक 24/06/2023


नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री RAJESH KUMAR पुत्र/पुत्री/श्री

RAJ PAL Singh निवासी ग्राम + पोस्ट- BHURIPUR, Post-

REWATI, Dist- BARELI को विश्वविद्यालय के

पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८स०अ०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३ दिनांक
२२ अ०८ २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग विज्ञान (भौतिकी) के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।


प्रबन्धक

पत्रांक बी०आ००एस०एस०एम०/ /2022, तददिनांक—

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक





बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सन्मद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)


खाड़पाथर, मुर्धवा (रेनुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक... BRSSM/ ५१३५/२०२३

दिनांक २५/०६/२०२३

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री/श्रीमती/सुश्री राहुल द्विवेदी
 पुत्र/पुत्री/श्री सन्तोष कुमार निवासी ग्राम + पोस्ट-
 और बाजार, स्टेशन रोड, अटरी, बाँदा, उपरा.
 को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८स०अ०/२९३३४/०५-५३९-२०२२/२०२३
 दिनांक २२ फून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग विज्ञान - U.G. में प्रवक्ता-गणित के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।


प्रबन्धक
प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / २०२२, तद्दिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेनुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेनुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।


प्रबन्धक

राहुल द्विवेदी



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक BRSSM/5135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री MANAV SINGH पुत्र/पुत्री/श्री

DERICK O SINGH निवासी ग्राम + पोस्ट- 119/157 BEHIND F.T.

TOWERS, KHADARI LANE, CANTT ROAD, LUCKNOW को विश्वविद्यालय के


पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८ स०अ०/२९३३८/०६-५३९-२०२२/ दिनांक

२२ जून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के

विभाग वाणिज्य में प्रबन्धक (B.Com) के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त

किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।

आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।


प्रबन्धक
बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम०/ 5135/2022 तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।



प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक BRSSM/5135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री CHEDILAL PRAJAPATI पुत्र/पुत्री/श्री
MUKTI NARAYAN PRAJAPATI निवासी ग्राम + पोस्ट-VILL-EKSARWA, POST-KOLHUI
TAHSIL-NAUTANWA, DIST-MAHARAJGANJ (U.P) PIN 273164 को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु ८०-२८ स० अ०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३ दिनांक
२२ जून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग वाणिज्य में प्रबन्धक (B.com) के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक
प्रबन्धक
बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / 5135 / 2023, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक.....

दिनांक 24/06/2023


नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री PRAVEEN GUPTA पुत्र/पुत्री/श्री

HARISH CHANDRA GUPTA निवासी ग्राम + पोस्ट- 223 JUGAULI SONAVLI

BAZAR, NAVTANWA MAHARAJGANJ (U.P) PIN 273164 को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८ स०अ०/२९३३४/०५-५३९-२०२२/२०२३ दिनांक

22 अगस्त 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग वाणिज्य में प्रकल्प (B.COM) के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्ति
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।



प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / / 2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।



प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उत्तराखण्ड)

पत्रांक BRSSM 15185/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ/श्री अतुल वर्मा पुत्र/पुत्री/श्री
 राधौर्माम वर्मा निवासी ग्राम + पोस्ट- 1248, ईंटरमॉन्ड
 निकट डॉ. ग्रान्डी इवारवाना, ईंटरमॉन्ड, 330 050 / 9338055392/2022/2023 दिनांक
 पत्र पत्रांक संख्या 22 अगस्त 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग शारीरिक शिक्षा में प्रवक्ता-B.P.Ed के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक
प्रबन्धक

पत्रांक बी0आर0एस0एस0एम0/ /2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक

प्राप्त किया

Afzal Verma



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक BRSSM/5135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री रमा शंकर शुक्ल पुत्र/पुत्री/श्री
 रामचन्द्र शुक्ल निवासी ग्राम + पोस्ट- बाबूरीटोला,
 दूरणीपुर, झामेठी, उत्तर प्रदेश को विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कु०४३०-२८ स० अ०/२१३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३ दिनांक
 २२ जून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
 विभाग शारीरिक शिक्षा में प्रवक्ता - B.P.Ed के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
 किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
 आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम०/ / 2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्राप्त किया
Renukoot

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उप्र०)

पत्रांक... B.R.S.S.M / 5135/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री संजय गिरी पुत्र/पुत्री/श्री
रम० पी० गिरी निवासी ग्राम + पोस्ट- महुनारी,
काशीपुर बस्ती, कैट्टनगांव, उप० को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०८०-२८८०३०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३ दिनांक
२२ जून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग शारीरिक शिक्षा में प्रवक्ता - B.P.Ed के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

Signature
प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम०/ / 2022, तदनिंदक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

संजय गिरी
Sanjay Giri

Signature
प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक..... B.R.S.S.M/15135/2023

दिनांक..... 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री रमा कान्त नर्मी पुत्र/पुत्री/श्री
श्री शंकर नर्मी निवासी ग्राम + पोस्ट- 39, कोन्चमारी,
सुनामा, खालीन, उपरोक्त को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८स०स०/२१३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३ दिनांक
२२ अगस्त २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग शारीरिक शिक्षा में प्रबन्धक-B.P.Ed के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम०/ /2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डॉ०/श्री
2. प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्राप्त किया
Gautam

प्रबन्धक
प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

संख्या-1482/2002-03
प्राज्ञ कोड-508



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उत्तराखण्ड)


पत्रांक...BRSSM/5135/2023

दिनांक...24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री/श्रीमती/स्त्री IRSHAD ALI (इरशाद अली)

पुत्र/पुत्री/श्री MOLHI (मौली) निवासी ग्राम + पोस्ट-
रामेकीहन्ना, पोस्ट-बरोली, तहसील-फैजपुर, जिला-बाराबंगा, 32
को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२३ स०अ०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२
दिनांक २२ जून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग (शिल्पालय) में प्रवक्ता (FINE ART) के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।


प्रबन्धक


बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र


पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / 2022, तददिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

/
प्रबन्धक







बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ0प्र0)

पत्रांक B.R.S.S.M / 5135 / 2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ/ श्री/ श्रीमती/ सुश्री अरनंद प्रताप सिंह

पुत्र/पुत्री/श्री प्रवाहर लाल कुल्लावाहा निवासी ग्राम + पोस्ट-
सच०आई०पी०-११, रीवर बैंक बैंकिंग, तिवोीपुरम, कटक, झुसी, इलाहाबाद
को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२३ स०अ०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३
दिनांक २२ जून २०२३ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग शिक्षा (B.E.) में प्रवक्ता (Phy.-Edu) के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

अभियंव
प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / 2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ/ श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/ कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

अभियंव
प्रबन्धक

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक B.R.S.P.G. COLLEGE / 5135 / 2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री/श्रीमती/सुश्री अर्खिमेश कुमार यादव
पुत्र/पुत्री/श्री ईरि इमाम चाहव निवासी ग्राम + पोस्ट-
नियुक्तपुरा, बेलभारा रोड, बालिया, मुर्धवा - 221715.
को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०८०-२८३०३०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३
दिनांक 22 अगस्त 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग शिक्षा (B.Ed) में प्रवक्ता (झामान्य) के पद पर ०५ वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक
प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / 2022, तददिनांक-

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसविव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ0प्र0)


मोबाइल नं0-9454844669
दूरभाष नं0-(05446) 255777

पत्रांक B.R.S.S.M/5435/2023

दिनांक 24/06/2023

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री/श्रीमती/स्त्री अमिता/सुश्री प्रदीप कुमार यादव निवासी ग्राम/पोस्ट-
पुत्र/पुत्री/श्री विजय यादव (Vijay Yadav) पुस्ती - 221115
पाठ्यपुर, समुद्रपुर, जिला - उत्तर प्रदेश, यूपी - 221115
को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स्त०-२८८००५०/२९३३८/०५-५३९-२०२२/२०२३
दिनांक 22 जून 2023 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के
विभाग शिक्षा (B.Ed) में प्रवक्ता (सामाजिक) के पद पर 05 वर्ष की संविदा पर नियुक्त
किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है।
आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।


प्रबन्धक
प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

पत्रांक बी०आर०एस०एस०एम० / 2022, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री
- प्राचार्य, बाबूराम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।


प्रबन्धक

P.K.Yuv



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक...B.R.S.P.G.C./4782/2021

दिनांक 22/03/21

नियुक्ति पत्र

डॉ०/श्री सतीरा कुमार गुप्ता पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री हेमी कुमार गुप्ता
 निवासी ग्राम+पोस्ट-खरगोसनपुर, थानाड़ी, जौनपुरको विश्वविद्यालय के
 पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२B स०अ० / १५९९४ / ०५-३३१-२०१७ / २०१९ दिनांक १२ अक्टूबर
 २०१९ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग प्रियाकारी स्तरमें गणित
 के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से
 अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने
 के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम०/४७८२/२०२०, तददिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/श्री सतीरा कुमार गुप्ता
- प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक

Sadeek Kumar Gupta

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सन्मद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक... BRSSM/4782/2021

दिनांक 22/03/21

नियुक्ति पत्र

डॉ/ श्री सुनील कुमार सिंह पुत्र/पुत्री/प्रत्नी श्री जाल जी
 +सिंह निवासी ग्राम+पोस्ट- नौवाढा, जलालपुर, जैनपुर को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या
 कु0स0-2B स0अ0 / 15994/05-331-2017/2019 दिनांक 12 अक्टूबर 2019 द्वारा
 अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग प्रौद्योगिकी और प्रबन्धन के पद
 पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्ति किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा
 संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना
 कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी0आर0एस0एम0 / 4782/2020, तददिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ/ श्री सुनील कुमार सिंह
- प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक

Sunil Kumar

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ0प्र0)

पत्रांक B.R.S.S.M/4782/2021

दिनांक 22/03/2021

नियुक्ति पत्र

डॉ/ श्री कु० बैविता श्रीवास्तव पुत्र/पुत्री/प्रस्त्री श्री मंगलवत शारण
श्रीवास्तव निवासी ग्राम+पोस्ट-झालकीनगर बहराइच रोड़ (गोडा) (उ०प्र०) विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८ स०आ० / १५९९४ / ०५-३३१-२०१७ / २०१९ दिनांक १२ अक्टूबर
२०१९ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग शिल्प संकायमें प्रवक्ता
बी०स०इ० के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से
अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने
के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम० / ४७८२/२०२०, तददिनांक- २२/०३/२०२१

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ/ श्री कु० बैविता श्रीवास्तव
- प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Babu Singh
प्राप्त किया

प्रबन्धक

Singh

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, ज़िला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक... B.R.S.S.M/4782/2021

दिनांक 22/03/2021

नियुक्ति पत्र

डॉ/श्री पंकज कुमार दिनेश, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री सुनदर लाल निवासी ग्राम+पोस्ट- काल्पुराम पूरवा, प्रियंगिका कूट विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८ स०अ० / १५९९४ / ०५-३३।-२०१७ / २०१९ दिनांक १२ अक्टूबर २०१९ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग शिक्षा संकाय में प्रवक्ता की ०८५० के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

/
प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम०/४७८२/२०२१, तददिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ/श्री पंकज कुमार दिनेश,
- प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक

Pankaj

[Signature]

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सन्मद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक BRSSM/4782/2021

दिनांक 22/03/2021

नियुक्ति पत्र

डॉ/श्री चंद्रल कुमार चाहवा पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राधनाथ चाहवा निवासी ग्राम+पोस्ट-रीढ़ी, अग्निपुर को विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८ स०अ० / १५९९४/०५-३३१-२०१७/२०१९ दिनांक १२ अक्टूबर २०१९ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग शिक्षा धनाय में प्रबन्धक के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम०/4782/2021, तददिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. डॉ/श्री
2. प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
3. कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

चंद्रल कुमार

प्रबन्धक

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ0प्र0)

पत्रांक B.R.S.P.G.M / 4782 / 2021

दिनांक 22/03/2021

नियुक्ति पत्र

डॉ/श्री अमित कुमार यादव पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री मिस्ट्री लाल
यादव निवासी ग्राम+पोस्ट- कैराडीह, रुद्रगंग, मिस्रुको विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु0स0-2B स0अ0 / 15994 / 05-331-2017 / 2019 दिनांक 12 अक्टूबर
2019 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग शिक्षा संकाय में प्रवक्ता
बी.एड्यूकेशन के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्ति किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से
अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने
के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी0आर0एस0एम0 / 4782 / 2021, तददिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ/श्री अमित कुमार यादव
- प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति/कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

Receaved
Amrit Kumar Yadav

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाडपाथर, मुर्धवा (रेनुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक BRSSM/4782/2021

दिनांक 22/03/2021

नियुक्ति पत्र

डॉ/ श्री हीरा लाल पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री चान्दोला
प्रस्ताव निवासी ग्राम+पोस्ट- धनीसारपुर, पी० करदा को विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२B स०आ० / 15994/05-331-2017/2019 दिनांक 12 अक्टूबर
2019 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग शिक्षा संकायमें प्रकल्प
शीर्षक के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से
अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने
के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आ०ए०स०ए० / 4782/2020, तददिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ/ श्री हीरा लाल
- प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेनुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।


प्रबन्धक

.....

.....

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाडपाथर, मुर्धवा (रेनुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक B.R.S.S.M/५७८२/२०२१

दिनांक २२/०३/२१

नियुक्ति पत्र

डॉ०/ श्री सुनील कुमार पुत्र/पुत्री(प्रत्नी श्री लाल दास
निवासी ग्राम+पोस्ट-धमड़ा, कट्ठरा, जिला के विश्वविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२B स०आ० / १५९९४ / ०५-३३१-२०१७ / २०१९ दिनांक १२ अक्टूबर
२०१९ द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग श्रीकाशी संकायम् व्रवक्ता
बी.एस्टड. के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्ति किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से
अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने
के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०एस०एम० / २०२०, तददिनांक- ;

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ०/ श्री सुनील कुमार
- प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

81 Km

प्रबन्धक

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र



बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(सम्बद्ध-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) 231217, जिला-सोनभद्र (उ०प्र०)

पत्रांक B.R.S.S.M/4782/2021

दिनांक 22/03/2021

नियुक्ति पत्र

डॉ/श्री आमित कुमार पुत्र/पुत्री/प्रत्नी श्री रामलाल
प्रज्ञापति निवासी ग्राम+पोस्ट-गोरा, बालृशहुर, काशीश्वरविद्यालय के
पत्र पत्रांक संख्या कु०स०-२८ स०अ० / 15994/05-331-2017/2019 दिनांक 12 अक्टूबर
2019 द्वारा अनुमोदन के अनुसार आपको इस महाविद्यालय के विभाग शिक्षाशिक्षामें प्रवक्ता
बी०स्ट० के पद पर पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण रूप से
अस्थायी है तथा संविदा के अनुसार परिवर्तनशील है। आपसे अनुरोध है कि आदेश प्राप्त करने
के बाद अपना कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

प्रबन्धक

पत्रांक बी०आर०ए०स०ए० / 4782/2020, तददिनांक- 22/03/2021

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- डॉ/श्री आमित कुमार
- प्राचार्य, बाबू राम सिंह महाविद्यालय, मुर्धवा, रेणुकूट, सोनभद्र।
- कुलपति / कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रबन्धक

आमित कुमार

प्रबन्धक

बाबू राम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेणुकूट) सोनभद्र

(d) The Workshop Space shall include provision in two separate spaces for the conducting of specific practicum activities such as theatre workshops, self-development workshops, craft, music and physical education workshops (including yoga education). These spaces should allow for free physical movement for a batch of 25-30 students.

6.3 Other Amenities

- (a) functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.
- (b) Arrangement may be made for parking of vehicles.
- (c) Access to safe drinking water in the institution.
- (d) Effective arrangement for regular cleaning of the campus, water and toilet facilities (separate toilet for men, women and PWD), repair and replacement of furniture and other equipment.

(Note: In case of composite institution, the infrastructural, instructional and other facilities shall be shared by various programmes.)

7. Managing Committee

The institution shall have a Managing Committee constituted as per norms of the affiliating University/concerned State Government. In the absence of such norms, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The Committee shall comprise representatives of the sponsoring society/trust / Company, Educationists and Teacher Educators, representatives of the affiliating university and of the faculty.

APPENDIX-4

Norms and Standards for bachelor of education programme leading to the Bachelor of Education (B.Ed) Degree

1. Preamble

The Bachelor of Education programme, generally known as B.Ed., is a professional course that prepares teachers for upper primary or middle level (classes VI-VIII), secondary level (classes IX-X) and senior secondary level (classes XI-XII). The programme shall be offered in composite institutions as defined in clause (b) of regulations 2.

2. Duration and Working Days

2.1 Duration

The B.Ed. programme shall be of a duration of two academic years, which can be completed in a maximum of three years from the date of admission to the programme.

2.2 Working Days

- (a) There shall be at least two hundred working days each year exclusive of the period of examination and admission.
- (b) The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days), during which physical presence in the institution of all the teachers and student teachers is necessary to ensure their availability for advice, guidance, dialogue and consultation as and when needed.
- (c) The minimum attendance of student-teachers shall have to be 80% for all course work and practicum, and 90% for school internship.

3. Intake, Eligibility, Admission Procedure and Fees

3.1 Intake

There shall be a basic unit of 50 students, with a maximum of two units. There shall not be more than twenty five students per teacher for a school subject for methods courses and other practical activities of the programme to facilitate participatory teaching and learning.

3.2 Eligibility

- (a) Candidates with at least fifty percent marks either in the Bachelor's Degree and/or in the Master's Degree in Sciences/Social Sciences/ Humanity, Bachelor's in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme.
- (b) The reservation and relaxation for SC/ST/OBC/PWD and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable.

3.3 Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government/U.T. Administration and the University.

3.4 Fees

The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body / state government concerned in accordance with provisions of National Council for Teacher Education (NCTE) (Guidelines for regulations of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002, as amended from time to time and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

4.3 Assessment

For Perspectives in Education and Curriculum and Pedagogic Studies, at least 20% to 30% marks may be assigned for continuous internal assessment and 70% to 80% marks for external examination. One-fourth of the total marks/weightage shall be allocated to assessment of practice teaching. The weightage for internal and external assessment shall be prescribed by the affiliating university. Candidates must be internally assessed on the entire course of Engagement with the Field and not only on the project/field work given to them as part of their units of study. The basis for assessment and criteria used ought to be transparent for students to benefit maximally out of professional feedback. Students shall be given information about their grades/marks as part of professional feedback so that they get the opportunity to improve their performance. The bases of internal assessment may include individual or group assignments, observation records, student portfolio, diaries, journal etc.

5. Staff

5.1 Academic Faculty

For an intake of two basic units of 50 students each, that is total students strength of 200, there shall 16 full-time faculty members.

The distribution of faculty across different curricular areas shall be as under:

1. Principal/ HoD	One
2. Perspectives in Education	Four
3. Pedagogy subjects (Maths, Science, Social Science, Language)	Eight
4. Health and Physical Education	One
5. Fine Arts	One
6. Performing Arts (Music/Dance/Theatre)	One



Note: (i) The faculty positions listed under different subject categories may teach course(s) in the Teacher Education Programme across curricular areas specified, and can cater to both foundation and pedagogy course(s). If the students' strength for two years is one hundred (with one basic unit) only, the number of faculty shall be reduced to 8.

(ii) Faculty can be utilised for teaching in flexible manner so as to optimize academic expertise available.

5.2 Qualifications

The faculty shall possess the following qualifications:

A. Principal/HoD

- (i) Postgraduate degree in Arts/Sciences/Social Sciences/Humanities/ Commerce with minimum 55% marks; and
- (ii) M.Ed. with minimum 55% marks; and
- (iii) Ph.D. in Education or in any pedagogic subject offered in the institution; and
- (iv) Eight years of teaching experience in a secondary Teacher Education Institution.

Desirable: Diploma/Degree in Educational Administration or Educational Leadership.

B. Perspectives in Education or Foundation Courses

- (i) Postgraduate degree in Social Sciences with minimum 55% marks; and
- (ii) M.Ed. degree from a recognised university with minimum 55% marks.

OR

- (i) Postgraduate (MA) degree in Education with minimum 55% marks; and
- (ii) B.Ed./B.El.Ed. degree with minimum 55% marks.

C. Curriculum and Pedagogic Courses

- (i) Postgraduate degree in Sciences/ Mathematics/ Social Sciences/ Languages with minimum 55% marks; and
- (ii) M.Ed. degree with minimum 55% marks.

Desirable : PhD degree in Education with subject specialisations.

[Note: In case of B and C put together, for two faculty positions, a postgraduate degree in Sociology/Psychology/Philosophy with 55% marks, and B.Ed./BEIEd with 55% marks and three years of teaching experience in a secondary school shall be considered].

D. Specialised Courses Physical Education

- (i) Master of Physical Education (M.P.Ed.) with minimum 55% marks. (Training/qualification in yoga education shall be desirable)

Visual Arts

- (i) Post graduate degree in Fine Arts (MFA) with minimum 55% marks.

Performing Arts

- (i) Post graduate degree in Music/Dance/ Theatre Arts with minimum 55% marks.

5.3 Administrative and Professional Staff

(a) Librarian (B.Lib with 55% marks)	One
(b) Lab Assistant (BCA with 55% marks)	One
(c) Office-cum-Account Assistant	One
(d) Office Assistant-cum Computer Operator	One
(e) Store-Keeper	One
(f) Technical Assistant	One
(g) Lab Attendants/Helpers/Support Staff	Two

Qualifications

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

Note: In a composite institution, the Principal and academic, administrative and technical staff can be shared. There shall be one Principal, and others may be termed as HoDs.

5.4 Terms and Conditions of Service

The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, pay scales, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the State Government/Affiliating body.

6. Facilities

6.1 Infrastructure

26910 Sqft F.O.R.T 16145 Sqft Y.F.Z

26910 Sqft F.O.R.T
16145 Sqft Y.F.Z

(i) The institutions shall possess 2500 sq mts (two thousand five hundred square meters) of exclusive well demarcated land for the initial intake of fifty students out of which 1500 sq mts (one thousand five hundred square meters) shall be the built up area and the remaining space for lawns, playfields, etc. For an additional intake of fifty students, it shall possess additional land of 500 sqm. (five hundred square metre). For an annual intake beyond two hundred and upto three hundred, it shall possess land of 3500 sqm. (three thousand five hundred square metre). For the institutions established prior to this Regulations, for an additional intake of one hundred students, built up area is to be increased by 500 sqm (five hundred square metre) and the requirement of additional land may not apply to them.

(ii) Built up Area for running other teacher education programmes in combination with B.Ed programme shall be as under:

- (ii) Facilities

Course(s)	Built up Area (in sqm)	Land Area in (sqm)
B.Ed/Education Component of B.A. B.Ed/B.Sc.B.Ed.	1500	2500
D.E.C.Ed plus B.Ed	2500	3000
D.E.I.Ed plus B.Ed	3000	3000
B.Ed plus M.Ed	2000	3000
D.E.C.Ed plus B.Ed plus M.Ed	3000	3500
D.E.I.Ed plus B.Ed plus M.Ed	3500	3500
D.E.I.Ed plus D.E.C.Ed plus B.Ed plus M.Ed	4000	4000

N.C.T.E 2014 REGULATION SUBJECT:- B.P.Ed ENGLISH & HINDI

[भाग III- भाग 4]

मार्ग सा प्रक्रिया : अधिकारी

129

stands - One Pair; High Jump Cross bars - Six; Shot-put for Men & Women - Two each; Discus for men & women - Two each; Hammers for men & women - Two each; Javelin for Men & Women - Six each; Vaulting box for jumping - Two; Relay Batons - Six; Mattress, Weight Training Set (Mats), Landing for High Jump.

(ii) Sports and Games

Badminton - Posts, Nets, Racket, Shuttle Cock; Basketball - Stand and Board, Net, Balls; Cricket - Batting pad, Batting Gloves, Abdominal Guard, Helmet, Wicket Keeping Gloves, Wicket Keepers leg guard, Stumps, Bails, Balls, Tennis Balls, Football - Goal-post, Net, Balls (Mini size 4 No.), Posts with flags; Gymnastics - Vaulting Table / Horse (Men & Women), Parallel Bar (Men), Horizontal Bar (Men), Balance Beam (Adjustable), Balance Beam (Adjustable), Gymnastics Mattresses; Handball - Goal posts, Nets, Balls; Hockey - Goal posts, Net, Balls, Sticks, Goal-keeping kit; Kho-Kho - Poles; Lawn Tennis - Posts, Nets, Balls, Rackets; Table Tennis - Table, Rackets, Balls; Volleyball - Posts, Nets, Balls, Antenna; Weight Training - Rods, Weight Plates 2.5 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, Collars, Benches, Weight Stand, Weight Belts and Weight Jackets; One Multi-gym or separate station wise (at least ten station); Judo/Taekwondo/ Wrestling - Mats

(iii) Equipment for indigenous activities / mass demonstration

Leziums; Dumbbells; Flags; Hoops; Wands; Balls; Umbrellas; Skipping Ropes; Music System; Music - CDs/ Cassettes; Material like scarf drill, ribbon, placard etc. for mass display activities; Demonstration/ Display Equipment for martial arts.

6.4 Cultural Activities

Suitable and adequate instruments, as and when needed for various activities shall be provided.

6.5 Miscellaneous

Other equipment required for major games, minor games, recreational games, relays, combative games and yoga.

6.6 Amenities

- (i) Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.
- (ii) The institution shall provide separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.
- (iii) Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.
- (iv) Arrangement may be made for parking of vehicles.
- (v) Safe drinking water be provided in the institution.
- (vi) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipments.

[Note: In case of composite institution, the facilities of multipurpose hall, playground, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space may be shared by various programmes.]

7. Managing Committee

The Institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules of the affiliating University/Concerned State Government, if any. In the absence of such rules, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The committee shall comprise representatives of the sponsoring society/ trust, physical educationists, representatives of the affiliating university and of the staff.

APPENDIX-7

'Norms and standards for bachelor of physical education programme leading to Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) Degree

1. Preamble

The Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) programme is a professional programme meant for preparing teachers for physical education in classes VI-X and for conducting physical education and sports activities in classes XI-XII.

2. Duration and Working Days

2.1 Duration

4.3 Assessment

For each theory course, at least 20% to 30% marks may be assigned for continuous internal assessment a 70% to 80% for term-end examination conducted by the examining body; and one-fourth of the total marks shall be allocated to evaluating internship tasks including the assignments of practice teaching. The weightage for internal and external assessment shall be fixed by the affiliating body. Candidates must be internally assessed on the entire practicum course and not only on the project/ field work given to them as part of their units of study. The basis for assessment and criteria used ought to be transparent for students to benefit maximally out of professional feedback. Students shall be given information about their grades/ marks as part of professional feedback so that they get the opportunity to improve their performance. The bases of internal assessment may include individual or group assignments, observation records, diaries, reflective journals, etc.

5 Staff

5.1 Academic Faculty

- (i) Number (for a basic unit of one hundred students):

1. Principal	One
2. Associate Professors	Two
3. Assistant Professors	Six
4. Assistant Professors	Three (Part Time) if needed
5. Sports Trainers	Three (Part Time)
6. Yoga Trainer	One (Part Time)
7. Dietician	One (Part Time)

- (ii) For an additional intake of one hundred students, the number of full time teacher educators shall be increased by eight Lecturers/Assistant Professors in physical education.
- (iii) Appointment of teachers in physical education shall be such as to ensure the availability of expertise for teaching all courses/ subjects and activities related to physical education

5.2 Qualifications

A. Principal/ Head

- (i) Master's degree in Physical Education (M.P.Ed./ M.P.E.) with 55% marks or its equivalent grade, i.e. B in the seven point scale of letter grades O, A, B, C, D, E, F as per UGC norms.
- (ii) Ph. D in the field of Physical Education.
- (iii) Eight years teaching experience out of which five years experience in an institute / college/ department of physical education.

- (iv) Any other stipulation prescribed by the UGC/affiliating body/State Govt. from time to time for the positions of principal shall be mandatory.

B. Associate Professor

- (i) M.P.Ed. degree or its equivalent with at least 55 % marks or its equivalent grade i.e. B in the seven point scale of letter grades O, A, B, C, D, E, F as per UGC norms.
- (ii) A minimum of eight years of experience of teaching and/or research in an academic/ research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research Institution/ industry excluding the period of Ph.D. research with evidence of published work and a minimum of 5 publications as books and/or research/policy papers.

Note : Any other stipulation prescribed by UGC /Affiliating Body State Govt. from time to time for the position of Associate Professor shall be mandatory.

C. Assistant Professor

M.P.Ed. degree or its equivalent with 55 % marks or its equivalent grade i.e. B in the seven point scale of letter grades O, A, B, C, D, E, F as per UGC norms.

Note : Any other stipulation prescribed by UGC / Affiliating Body / State Govt. from time to time for the position of Assistant professor shall be mandatory.

D. Sports Trainers (Part Time)

Masters degree/Bachelors degree in physical education with specialization in at least one game/sport (as applicable) or Diploma/PG diploma in coaching in a sport (as applicable).

E. Yoga Trainer (Part Time)

PG Diploma in Yoga.

F. Dietician (Part Time)

Masters degree in nutrition or Bachelors degree in home science with diploma in nutrition and dietetics

5.3. Technical Support and Administrative Staff

1. Librarian	One
2. Physiotherapist	One
3. Grounds-men/ Markers/ Helpers	Two
4. Music Teacher/ Band Master	One (Part Time)
5. ICT Instructor	One (Part Time)
6. Technical Assistant	One (Part Time)
7. Accounts Assistant	One
8. Office Assistant	One
9. Storekeeper	One
10. Helpers/ Attendants	Two

Qualifications

As prescribed by concerned State Government, Affiliating University/ UGC.

[Note: In case of composite institution, the Principal, and academic, administrative and technical staff can be shared across programmes. There shall be one Principal, and others may be termed as HoDs]

5.4. Terms and Conditions of Service

The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, pay scales, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the State Government/Affiliating body.

6. Facilities

6.1 Infrastructure

(i) There shall be provision for at least two class rooms, one multi-purpose hall, one seminar room / ten tutorial specialization class rooms, separate rooms for the Principal, faculty members, medical facility room, office for the administrative staff and a store. For every instructional room like class room, laboratories, and libraries etc. spaces shall not be less than 10 sq. ft. (ten square feet) per student. Multi-purpose Hall shall have the seating capacity for at least two hundred persons with total built up area inclusive of dias as 2000 sq. mts (two thousand square meters).

(ii) Built up Area for running other courses in combination with B.P.Ed programme shall be as under :

- (a) Only B.P.Ed. - 1500 Sq mts.
- (b) B.P.Ed. plus M.P.Ed. - 2700 Sq.mts.
- (c) B.P.Ed plus D.P.Ed plus M.P.Ed - 3900 Sq.mts.

Additional intake of one unit of B.P.Ed. will require additional built up area of 500 sqm. (five hundred square meter).

(iii) There shall be a multi-purpose play field for outdoor sports, a 400 meter athletic track (may be 200 meter in metro cities), gymnasium and a hall for indoor games and sports.

(iv) The institution campus, building, furniture etc. should be disabled friendly.

(v) Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

(vi) Separate hostels for boys and girls for outstation students.

6.2 Instructional

(i) The institution must have at least 5-8 acres of land with proper fencing which shall provide enough space for institutional building and for future expansion and open space for organizing games and sports. Built up area consisting of classrooms etc. shall not be less than 1500 sq.mtr. For additional unit, the built up area is to be increased by 3000 sq. ft. The maximum intake capacity of an institution shall remain three hundred students taking all physical education courses together. Physical education courses are not to be run with other teacher education courses. Five to Eight acres of land is sufficient for all physical education courses up to an intake capacity of three

बाबू राम सिंह महाविद्यालय

खाडपाथर, पो-मुर्धवा (रेनुकूट) सोनभद्र-उप्र०
(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

B R S M



पंजीयन संख्या-1482/2002-03

दूरभाष - (05446) 256569
फैक्स नं०-(05446) 255777

पत्र १.१ Sanctioned posts of Teachers according to Higher Education Commission Uttar Pradesh and University Grant Commission given below

Date	Sanction Posts	Subject wise posts sanctioned
01-06-2004	07	HINDI-01 ENGLISH-01 SANSKRIT-01 SOCIOLOGY-01 ANCIENT HISTORY-01 GEOGRAPHY-01 HOME SCIENCE-01
01-07-2006	15+01	B.Ed- 2 UNITS
01-07-2006	07+01	B.P.Ed.- 1 UNITS
31-05-2014	03	B.Com.-03
29-02-2016	05	B.Sc. PHYSICS -01 CHEMISTRY-01 MATH-01 BOTANY-01 ZOOLOGY-01
30-05-2016	05	M.A. HINDI-01 SOCIOLOGY-02 HOME SCIENCE-02
14-09-2021	02	M.A. GEOGRAPHY-02
14-09-2021	04	B.A. ECONOMICS-01 EDUCATION-01 PHYSICAL EDUCATION-01 POLITICAL EDUCATION-01
14-09-2021	01	B.Sc. BIO TECHNOLOGY-01
TOTAL	51+01(Post for Principal)	

लाल भाट्ट
बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खाडपाथर मुख्यालय (एस.)
वाराणसी (उप्र.)

बाबू राम सिंह महाविद्यालय

खाड़पाथर, पो०-मुर्धवा (रेनकूट) सोनभद्र-उ०प्र०

(सम्बद्ध-महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



पंजीयन संख्या-1482/2002-03

दूरभाष - (05446) 256569
फैक्स नं०-(05446) 255777

पत्रांक.....

दिनांक.....

2.4.1 Sanctioned posts of Teachers according to Higher Education Commission Uttar Pradesh and University Grant Commission (UGC) and appointed against sanction posts given below

Session	Sanction Post	Existing Staff	Sanction Post (Management)	Existing Staff	Total
2018-19	44	43	NIL	NIL	43
2019-20	44	39	NIL	NIL	39
2020-21	44	39	NIL	NIL	39
2021-22	51	31	NIL	NIL	31
2022-23	51	43	NIL	NIL	43

ललित अमरात्मा
ललित
बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खाड़पाथर, मुर्धवा (रेनकूट)
सोनभद्र (उ०प्र०)

बाबू राम सिंह महाविद्यालय

खाड़पाथर, पोर्ट-नुवांवा (लुकूट) सानमढ़ी-उप्र०

(सन्दर्भ-महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



संचयित लेखन-1482/2002-03

दूरभाष - (06448) 256566
फैक्स नं०-(06448) 256777

दिनांक _____

दिनांक _____

2.4.1 Sanctioned posts of Teachers according to Higher Education Commission Uttar Pradesh and University Grant Commission (UGC) and appointed against sanction posts given below

Session	Total Sanction Post
2018-19	43
2019-20	39
2020-21	39
2021-22	31
2022-23	43

Jolly Ambawty
प्रबोध

बाबू राम सिंह महाविद्यालय
खाड़पाथर पुर्व (उपर्युक्त)
सानमढ़ी-उपर्युक्त (उपर्युक्त)